FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ------अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02---मुकाम

किशनगढ़

सरकार ——बनाम—— **संजय कुमार उर्फ सन्नू**

किस्म मुकदमा —— सेशन प्रकरण संख्या 17/2017 (62/2019) ———

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-10-2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। मजीद बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 व 216 दण्ड प्रकिया संहिता दिनांक 17.02.2024 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षो की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रकरण अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी व विकल्प मे 302 भारतीय दण्ड संहिता मे साक्ष्य सफाई/बहस अंतिम हेतु नियत है। प्रार्थी/अभियुक्त संजय कुमार व मृतका नवनीता का विवाह दिनांक 18.02.2010 को आर्य समाज नया बाजार पुरानी मण्डी अजमेर मे सम्पन्न हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अजमेर द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र प्रदर्श डी 2 है जिसमे विवाह की दिनांक 18.02.2010 रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.03.2010 अंकित है। मृतका की विवाह दिनांक 18.02.2010 से सात वर्ष दो माह पश्चात दिनांक 01.03.2017 को मृत्यु हुई। विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर ही धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आदेश मे दिनांक 12.07.2021 को धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध आकर्षित नही होना पाया तथा मृतका की मृत्यु विवाह की दिनांक से सात वर्ष पश्चात् होना पाया। न्यायालय मे अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप विरचित किये है उसमे विवाह की दिनांक व स्थान अंकित नही किये। धारा 212 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत आरोप विरचित करते समय दिन, दिनांक व स्थान की विशिष्टियो का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिससे विवाह के स्थान व दिनांक के संबंध मे प्रार्थी/अभियुक्त भुलावे मे पडने के कारण अपना बचाव करने मे असमर्थ है। विवाह दिनांक 18.02.2010 से मृत्यु की तारीख 01.03.2017 की गणना नही करने के कारण धारा 304बी आईपीसी का आरोप विरचित किया गया है जिसमे परिवर्तन व परिवर्धन किया जाना आवश्यक है अतः विरचित आरोप धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता को परिवर्तन/परिवर्धन	

9/10/25

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

करने व आरोप मे विवाह दिनांक, माह, वर्ष व विवाह के स्थान की विशिष्टियो का उल्लेख किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का परिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अपर लोक अभियोजक व परिवादी ने कथन किया कि संजय कुमार व मृतका नवनीता का विवाह दिनांक 08.02.2012 को उत्सव पैलेस मैरिज गार्डन गुलाबबाडी मे संपन्न हुआ जिसकी ताईद स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.03.2017 को दर्ज कराई गई। एफआईआर जो प्रदर्श पी 19 से होती है जिसमे मृतक नवनीता से स्वयं का विवाह सन् 2012 मे होना अंकित है। न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2017 को विस्तृत तौर पर आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया है तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा विवाह सन् 2012 मे होना अंकित किया हैं। अन्य गवाहान द्वारा भी विवाह दिनांक 08.02.2012 को सम्पन्न होने का कथन कियाहै। उपरोक्त परिस्थिति अनुसार ही धारा 498ए,304बी तथा विकल्प मे धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है। उक्त आदेश को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चुनौती नही दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विवेचना के संबधं मे जिस तरह से तथ्य अंकित किये गये है वह गलत होने से अस्वीकार है, सही तथ्य यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय से लगभग 5 बार खारिज किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय मे जो तथ्य बताये गये है वह अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा बताये गये हैं, जिसमे शादी दिनांक 18.02.2010 होना इस प्रार्थना पत्र मे अंकित है जबकि विवाह दिनांक 08.02.2012 को सम्पन्न हुआ तथा उक्त जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई जरिये विडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी। सम्पूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष नही आये थे ना ही परिवादी की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता उपस्थित थें। यह प्रतिपादित सिंद्वांत है कि जमानत आवेदन मे न्यायालय द्वारा जो विवेचना की जाती है उसका असर विचारण न्यायालय तथा प्रकरण पर नही पडता है ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश से प्रार्थी/अभियुक्त को किसी प्रकार का कोई लाभ नही पहुंचता है। आरोप विरचन आदेश मे विवाह दिनांक 08.02.2012 होना अंकित है। जहां तक विवाह के स्थान, दिन व दिनांक की विशिष्टियो का उल्लेख नही होने का कथन है तो ऐसा विधिक तौर पर कतई आवश्यक नही है वैसे भी उक्त तथ्य निर्विवादित है प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं अपनी लिखित रिपोर्ट मे विवाह सन 2012 मे होना अंकित किया हैं प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है अतः अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

उभयपक्षो को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अभियुक्त की ओर से जरिये प्रार्थना पत्र विरचित आरोप दिनांक 07.12.2017 मे

9/10/18

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी/अभियुक्त व मृतका के विवाह की दिनांक, समय, स्थान की विशिष्टीया अंकित नही होने से स्वंय का भुलावे मे पडने व जिसके फलस्वरूप बचाव साक्ष्य पेश करने मे असमर्थ होने का कथन किया है तथा स्वयं का मृतका का विवाह दिनांक 18.02.2010 को होना बताते हुए न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवाह की दिनांक 18.02.2010 से मृत्यु की दिनांक 01.03.2017 की गणना सही तौर पर नही करने, उक्त अवधि सात वर्ष से अधिक होने से धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप मे परिवर्तन/परिवर्धन करने का निवेदन किया है। इस संबंध मे पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण मे अभियुक्त के द्वारा दिनांक 01.03.2017 को अपनी पत्नी की फांसी लगाकर मृत होने की सूचना पुलिस थाना गांधीनगर मे दीगई जो प्रदर्श पी 19 है, उक्त रिपोट्र मे प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी शादी नवनीता से सन् 2012 मे होने का तथ्य अंकित किया है तत्पश्चात् बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए,304बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध मे आरोप पत्र पेश हुआ उक्त अपराध मे प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली कमिट की गई। दिनांक 07.12.2017 को न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर पृथक से विस्तृत आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। उक्त आदेश मे न्यायालय ने धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के दौरान मुल्जिम द्वारा दी गई रिपार्ट दिनांक 01.03.2017 मे स्वयं व मृतका की शादी सन् 2012 मे होना अंकित करने, अनुसंधान के दौरान गवाहान के कथनो मे भी अभियुक्त व मृतका नवनीता की शादी दिनांक 08.02.2012 को संपन्न होने, दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताडित करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार फांसी के फंदे से हत्या होने, तथा दौराने अनुसंधान मृतका की मृत्यु दिनांक 01.03.2017 को होना जिसका विवाह दिनांक 08.02.2012 से सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियो से भिन्न परिस्थितियो मे मृत्यु होना दर्शित होने की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध होना अंकित किया गया है। अभियुक्त की ओर से विवाह बाबत् जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अजमेर का प्रमाण पत्र दौराने अनुसंधान शामिल पत्रावली किया गया उसे बचाव का विषय होना माना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी व विकल्प मे धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया गया।

इस प्रकार से न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.12.2017 को जो आदेश आरोप विरचित करने के संबंध मे पारित किया गया उसमे प्रार्थी/अभियुक्त व मृतका का विवाह दिनांक 08.02.2012 को होने का तथ्य अंकित करते हुए मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियो से अन्यथा होना बताते हुए, अभियुक्त द्वारा विवाह 18.02.2010 जो प्रतिरक्षा ली है उसके संबधं मे. विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त ने उच्चतर न्यायालय मे कोई कार्यवाही

9/10/18

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

की हो, ऐसा कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र मे नही किया है। उक्त आदेश मे विवाह की दिनांक अनुसंधान मे पाये गये तथ्यो के आधार पर दिनांक 08.02.2012 होना पाया गया है व इसी आधार पर आरोप विरचित करने का आदेश दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवाह की दिनांक के संबंध मे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अजमेर का प्रमाण पत्र पेश किया गया, उसे बचाव का विषय होना उक्त आदेश मे माना गया है अतः ऐसी स्थिति मे अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप विरचित किया गया है उसमे यद्यपि दिनांक का उल्लेख नही किया गया है परंतु न्यायालय के आरोप विरचित करने के आदेश मे उक्त दिनांक 08.02.2012 का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अभियोजन द्वारा परीक्षित 29 गवाहो से प्रतिपरीक्षा भी की है तथा वर्ष 2010 मे विवाह होने संबंधी जो तथ्य प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है उसके संदर्भ मे भी विस्तृत जिरह गवाहो से की जा चुकी है अतः ऐसी स्थिति मे प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के व मृतका के विवाह की दिनांक को लेकर के किसी भुलावे मे पड गया हो व उसके कारण अपनी प्रतिरक्षा करने मे असमर्थ रहा हो, ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध आरोप विरचित करने के आदेश दिनांक 07.12.2017 व गवाहान की साक्ष्य से प्रकट नही होता है अतः ऐसी स्थिति मे जबकि प्रकरण मे अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो चुकी है, अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत लेखबद्ध भी हो चुके है ऐसी स्थिति मे उक्त आरोप मे दिनांक, समय स्थान के संबधं मे कोई संशोधन किया जाना या परिवर्तन/परिवर्धन किया जाना न्यायालय को न्यायोचित्त प्रतीत नही होता अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रकट नही होता व अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य सफाई दिनांक 16.10.2025 को पेश हों।

अपर जिला एवं सेशन
किशनगढ़ (